



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2012/आषाढ़ 15, 1934

No. 159]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2012/ASADHA 15, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2012

फा. सं. एम(सी)/2009.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:

1. सक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा या प्राधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2012 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) 'अधिनियम' का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 है;
 - (ख) "नियत तारीख" का अर्थ 1 अक्टूबर, 2007 है जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया था;
 - (ग) "सहबद्ध" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो कंपनी से संबद्ध हो:

- (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है।

- (ii) जिसके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए छब्बीस प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी न हो;
- (iii) जो कंपनी के शासी बोर्ड के निदेशक मण्डल या सदस्यों के आधे से अधिक या शासी बोर्ड के एक या अधिक कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- (iv) जो कंपनी के कुल उधार के कम से कम दस प्रतिशत की गारंटी दे।
- (घ) "बोर्ड" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से है।
- (ङ) "पेट्रोलियम और प्राकृतिक उत्पाद पाइपलाइन" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 में परिभाषित अनुसार किसी पाइपलाइन से है।
- (2) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में या नियमों में या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया हो, का अधिनियम में या नियमों में या विनियम, जैसी भी स्थिति हो, में क्रमशः दिए गए अनुसार अर्थ होगा।

3. कार्यक्षेत्र

ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे-

- (क) जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव करती है और जिसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने हेतु संबंधित विनियमों के अंतर्गत ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;
- (ख) जो नियत तारीख से पहले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछा रहा है, निर्माण, प्रचालन या विस्तार कर रहा है तथा जिसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने हेतु संगत विनियमों के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है; या
- (ग) जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियत तारीख से पहले प्राधिकृत किया गया है और बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने हेतु संगत विनियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए स्वीकृत किया गया है।

4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने का उद्देश्य

- (क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों किसी रिफाइनरी या स्थापना से किसी विशिष्ट मार्ग द्वारा किसी सांघ केन्द्र तक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का बल्क

परिवहन करने की दक्ष, किफायती और सुरक्षित प्रणाली होती हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, पर्यावरण और सुरक्षा सांविधिकों का अनुपालन करके तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के ढांचे के अधिकतम उपयोग द्वारा निष्फल निवेश से बचने से उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर ढंग से रक्षा होती है।

- (ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता प्रदान करने की अवधारणा का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनियों के साथ संविदा वाहक या सामान्य वाहक व्यवस्था के माध्यम से कंपनी द्वारा बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्रतिस्पर्धी बाजार का विकास हो सके।

5. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए संविदा वाहक प्रणाली

- (क) संविदा वाहक प्रणाली का अर्थ है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में कंपनी की निजी आवश्यकता से अधिक क्षमता किसी अन्य कंपनी के लिए उपलब्ध होगी जो कंपनी द्वारा एक वर्ष से कम की अवधि के लिए परस्पर सहमत गुणवत्ता वाले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा के परिवहन के लिए संविदा के अधीन होगी, जो परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर होगी, तथा विनियमों के प्रावधानों को अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित करने तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 के अंतर्गत प्राधिकृत अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का भुगतान करने के अधीन होगी:
- (ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु संविदा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के कार्यकलापों से स्वतंत्र होगी।

6. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए सामान्य वाहक प्रणाली

- (क) सामान्य वाहक प्रणाली का अर्थ है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में कंपनी की निजी आवश्यकता से अधिक क्षमता किसी अन्य कंपनी के लिए उपलब्ध होगी जो कंपनी द्वारा एक वर्ष से कम की अवधि के लिए परस्पर सहमत गुणवत्ता वाले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा के परिवहन के लिए संविदा के अधीन होगी, जो परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर होगी, तथा विनियमों के प्रावधानों को अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित करने तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 के अंतर्गत प्राधिकृत अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का भुगतान करने के अधीन होगी:

बशर्ते कि यदि सामान्य वाहक की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है तो कंपनी एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए इसकी संविदा कर सकती है, बशर्ते कि

इसमें यह प्रावधान हो कि यदि कोई अन्य कंपनी एक वर्ष से कम की अवधि के लिए उसकी बुकिंग चाहती है, तो उसके अनुरोध पर एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए अन्य कंपनियों के साथ सामान्य वाहक क्षमता के संबंध में पहले की जा चुकी संविदा का यथानुपात दर निर्धारित करने के बाद समायोजित किया जाएगा:

आगे यह भी कि सामान्य वाहक क्षमता की यथानुपात दर कुल सामान्य वाहक क्षमता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इन विनियमों के उद्देश्य के लिए सामान्य वाहक या संविदा वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी को अपने निजी और उसकी सहबद्ध कंपनियों को इसका प्रयोग करने का अधिकार पहला होगा और यह पहले उपयोग के अधिकार तक सीमित होगा। पहले उपयोग का ऐसे अधिकार को अधिमान्य पहुंच नहीं माना जाएगा।

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन की संविदा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के कार्यकलाप के लिए स्वतंत्र होगी।

(ग) किसी निर्धारित समय में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में उपलब्ध सामान्य वाहक क्षमता को "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर बिना किसी भेदभाव के उसकी बुकिंग चाहने वाली अन्य किस कंपनी में आवंटित किया जाएगा।

(घ) जब किसी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में सामान्य वाहक आधार पर उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त क्षमता कंपनी की क्षमता आवश्यकताओं के योग के पच्चीस प्रतिशत से कम हो तथा अन्य कंपनियों के साथ संविदागत क्षमता सुनिश्चित की गई हो, तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा - (i) सुनिश्चित संविदा के समापन पर, या (ii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता विस्तार द्वारा:

बशर्ते कि जब सामान्य वाहक क्षमता कंपनी की क्षमता आवश्यकता के योग के दस प्रतिशत से कम हो और अन्य कंपनियों के साथ संविदागत क्षमता सुनिश्चित की गई हो, तो बोर्ड स्वतः आधार पर और जनता से यथोचित परामर्श करने के बाद बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार ऐसी समय-सीमा तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों पर अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए कंपनी की आवश्यकता होगी।

7. सामान्य या संविदा वाहक क्षमता के लिए सामान्य सिद्धांत

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी अपनी वेबसाइट में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में उपलब्ध सामान्य या संविदा वाहक क्षमता को प्रदर्शित करेगी तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की पहुंच स्थितियों पर संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी प्राप्त आवेदनों का पारदर्शी ढंग से रिकार्ड रखकर तथा आबंटन के आधार पर उपलब्ध सामान्य या संविदा वाहक क्षमता को आबंटित करेगी तथा अनुलग्नक-1 के अनुसार अपनी वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करेगी।

8. संविदा वाहक आधार पर निजी आवश्यकता और आबंटित क्षमता का सत्यापन

कंपनी अपनी निजी आवश्यकता तथा संविदा वाहक आधार पर आबंटित क्षमता के ब्योरे का उल्लेख करेगी जिसका बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सत्यापन किया जाएगा।

9. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में संविदा वाहक या सामान्य वाहक क्षमता का निर्धारण

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के संबंध में सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल है:-

(क) विनियम 3 के खंड (क) का निर्धारण पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने हेतु संगत विनियमों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अनुसार तथा बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण करने के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

(ख) विनियम 3 के खंड (ख) को बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता के निर्धारण के लिए संगत विनियमों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा तथा विनियम 3 के खंड (ग) को केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता का निर्धारण करने के लिए संगत विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

10. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन हेतु मौजूदा पाइपलाइन की सामान्य या संविदा वाहक के रूप में घोषणा करना

(1) यदि बोर्ड का यह मत हो कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मौजूदा पाइपलाइन को सामान्य या संविदा वाहक घोषित करना आवश्यक या फायदेमंद हो तो:-

(क) आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करके अपने अभिप्राय व्यापक प्रचार कर सकता है जिसकी अवधि ऐसे आमंत्रण की तारीख से एक माह से कम न हो;

(ख) बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के स्वामित्व वाली कंपनी को आपत्तियों और सुझावों के आमंत्रण की समापन तारीख से इक्कीस दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि के अंतर्गत सुनवाई का अवसर देगा।

2488 GI/12-2

- (2) प्राप्त आपतियों या सुझावों पर विचार करने तथा उप विनियम (1) के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की स्वामित्व वाली कंपनी की सुनवाई के बाद बोर्ड पाइपलाइन की सामान्य या संविदा वाहक के रूप में घोषणा कर सकता है जो इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अधीन होंगी।
- (3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी कंपनी स्वतः आधार पर बोर्ड को सामान्य या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की घोषणा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है तथा बोर्ड कंपनी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की अवधि में सामान्य या संविदा वाहक के रूप में संगत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की घोषणा करेगा जो उसके द्वारा उपयुक्त समझी गई ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगा।

11. विविध

- (क) बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की सामान्य या संविदा वाहक के रूप में घोषणा करने या प्राधिकृत करने की प्रक्रिया तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करने हेतु संगत विनियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन हेतु केन्द्र सरकार के प्राधिकार को स्वीकार करने की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा।
- (ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में कंपनी की बुकिंग क्षमता का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन तक पहुंच बनाने की शर्तों पर संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा पालन किया जाएगा।
- (ग) बोर्ड इन विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
- (घ) यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/2012-13]

अनुलग्नक-।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की बुकिंग और क्षमता आबंटन हेतु आवेदनों का रिकार्ड रखने के लिए प्रपत्र

[विनियम 7 (ख) देखें]

1.	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता की बुकिंग हेतु आवेदन पर आवंटित डॉकेट नम्बर
2.	आवेदन की तारीख और प्राप्ति का समय
3.	आवेदन प्राप्त होने की पद्धति तथा कंपनी द्वारा जारी पुष्टि की तारीख
4.	प्रत्येक टैप-ऑफ/सुपुर्दगी प्वाइंट पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की पूरी क्षमता (एमएमटीपीए में)
5.	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व कंपनी द्वारा घोषित और बोर्ड को सूचित अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की कंपनी की निजी क्षमता आवश्यकता
6.	क्षमता की बुकिंग हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व सभी टैप ऑफ/सुपुर्दगी प्वाइंट(टों) पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (एमएमटीपीए में) सामान्य वाहक या संविदा वाहक की उपलब्ध क्षमता।
7.	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में प्रत्येक टैप-ऑफ/डिलीवरी प्वाइंट की समयावधि तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद लगाने के स्थल के ब्योरे सहित आवेदक कंपनी को आवंटित पाइपलाइन क्षमता (एमएमटी में)। यदि आवंटित क्षमता अनुरोध की गई क्षमता से कम होती है तो इसके विशिष्ट कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए।
8.	क्षमता की बुकिंग के लिए आवेदक कंपनी के अनुरोध को स्वीकार करने की सूचना भेजने की तारीख (विशिष्ट कारणों के प्रकटीकरण करने सहित क्षमता का आंशिक आबंटन करने की स्थिति में) तथा नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करने की तारीख।
9.	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता की बुकिंग हेतु संविदा करने की तारीख।
10.	प्रत्येक संविदागत क्षमता के बाद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में उपलब्ध क्षमता।
11.	संविदागत क्षमता के आधार पर दी गई वास्तविक मात्रा।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2012

F. No. M(C)/2009.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring or Authorizing Petroleum and Petroleum Products Pipelines as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) “appointed day” means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
 - (c) “affiliate” means a person in relation to the entity—

- (i) who participates, directly or indirectly or through one or more intermediaries, in the management or control or capital of the entity;
- (ii) who holds, directly or indirectly, shares carrying not less than twenty-six per cent. of the voting power in the entity;
- (iii) who appoints more than half of the Board of directors or members of the governing board or one or more executive directors or executive members of the governing board of the entity; or
- (iv) who guarantees not less than ten per cent. of the total borrowings of the entity.

(d) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(e) "Petroleum and petroleum products pipeline" means any pipeline as defined in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Scope.

These regulations shall apply to an entity-

- (a) which proposes to lay, build, operate or expand a petroleum and petroleum products pipeline and has been authorized to do so under

2488 GI/12-3

the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipelines;

- (b) which has been laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day and has been authorized under the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipelines; or
- (c) which has been authorized by the Central Government before the appointed day and accepted by the Board for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline under the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipelines.

4. Objectives for declaring petroleum and petroleum products pipeline as common carrier or contract carrier.

(a) Petroleum and Petroleum products Pipelines are an efficient, economical and safe mode of bulk transportation of petroleum and petroleum products from a refinery or an installation to a demand centre over a particular route. Therefore, consumer interest is best served by promoting competition, compliance with environmental and safety statutes and avoiding infructuous investments by optimum utilization of infrastructure of petroleum and petroleum products pipelines.

(b) The concept of allowing capacity in a petroleum and petroleum products pipeline to be utilized by any entity on a non-discriminatory basis through contract carrier or common carrier arrangements with entities laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipelines shall lead to development of competitive markets.

5. Contract carrier system for petroleum and petroleum products pipelines.

(a) A contract carrier system implies that the capacity in petroleum and petroleum products pipeline, over and above the entity's own requirement, shall be available to any other entity subject to the latter entering into a contract for transportation of quantity of petroleum and petroleum products of a mutually agreed quality for a period of minimum one year on such other terms and conditions as may be mutually agreed subject to the provisions of regulations notified from time to time under the Act and on payment of petroleum and petroleum products pipeline tariff as authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010.

(b) The contract for transportation of petroleum and petroleum products in petroleum and petroleum products pipeline shall be independent of the activity of marketing of petroleum and petroleum products.

6. Common carrier system for petroleum and petroleum products pipelines.

(a) A common carrier system implies that the capacity in a petroleum and petroleum products pipeline, over and above the entity's own requirement, shall be available to an entity subject to the latter entering into a contract for transporting quantity of petroleum and petroleum products of a mutually agreed quality for a period of less than one year, on such other terms and conditions as may be mutually agreed, and subject to the provisions of regulations notified from time to time under the Act and on payment of petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff as authorized under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of

Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010:

Provided that if the common carrier capacity is not fully utilized, the entity may contract the same for a period of one year or more, subject to the stipulation that in case another entity seeks booking of the same for a period of less than one year, the request shall be accommodated after pro-rating the same from the common carrier capacity already contracted to other entities for a period of one year or more:

Provided further that pro-rating the common carrier capacity shall not exceed ten per cent of the total common carrier capacity.

Explanation.- For the purpose of these regulations, entity laying, building, operating or expanding a common carrier or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline shall have right of first use for its own and its affiliates' requirement and shall be limited to the right of first use. Such right of first use shall not be deemed to be preferential access.

(b) The contract for transportation of petroleum and petroleum products in a petroleum and petroleum products pipeline shall be independent of the activity of marketing of petroleum and petroleum products;

(c) Common carrier capacity available in petroleum and petroleum products pipeline at any given point in time shall be allocated to any other entity seeking booking of the same on a non-discriminatory "first-come-first-served" basis.

(d) When the extra capacity in a petroleum and petroleum products pipeline to be provided on a common carrier basis is less than twenty five percent of the sum of the capacity requirements of the entity and the firmed up contracted

capacity with other entities, the same will be made available - (i) on expiry of firm contracts, or (ii) by way of expansion of capacity in the petroleum and petroleum products pipeline:

Provided that when the common carrier capacity is less than ten percent of the sum of the capacity requirements of the entity and the firmed up contracted capacity with other entities, the Board may on a *suo motu* basis and after following the due process of public consultation require an entity to build extra capacity on such time lines and other terms and conditions as may be specified by the Board.

7. General principles for common or contract carrier capacity.

- (a) Entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline shall publish the common or contract carrier capacity available in the petroleum and petroleum products pipeline on its website and follow the procedure specified in the relevant regulations on access conditions for petroleum and petroleum products pipeline.
- (b) Entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline shall allocate the common or contract carrier capacity available on a transparent basis by maintaining a record of the applications received and the basis of allocation and also publish the information on its website as per Annexure-1.

8. Verification of own requirement and capacity allocated on a contract carrier basis.

The entity shall specify the details of its own requirement and the capacity allocated on a contract carrier basis which shall be verified from time to time by the Board as required.

2482 GI/12-4

9. Determination of contract carrier or common carrier capacity in petroleum and petroleum products pipeline.

The common carrier or contract carrier capacity in respect of petroleum and petroleum products pipeline covered under,-

- (a) clause (a) of regulation 3 shall be determined as per the basis provided under the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipelines and as approved by the Board as per the basis specified in the relevant regulations for determining the capacity of the petroleum and petroleum products pipeline;
- (b) clause (b) of regulation 3 shall be as approved by the Board as per the relevant regulations for determining the capacity of the petroleum and petroleum products pipeline and clause (c) of regulation 3 shall be as authorized by the Central Government or as approved by the Board as per the relevant regulations for determining the capacity of the petroleum and petroleum products pipeline.

10. Declaring of existing pipeline for transportation of petroleum and petroleum products as a common or contract carrier.

(1) If the Board is of the opinion that it is necessary or expedient to declare an existing pipeline for transportation of petroleum and petroleum products as a common or contract carrier,-

- a) it may give wide publicity of its intention to do so by inviting objections and suggestions within a period of not less than one month from the date of invitation;
- b) the Board shall also provide the entity owning the petroleum and petroleum products pipeline an opportunity of being heard within a minimum notice period of twenty one days from the close of the invitation for objections and suggestions.

- (2) After considering the objections and suggestions received and after hearing the entity owning the petroleum and petroleum products pipeline under sub-regulation (1), the Board may declare the pipeline as a common or contract carrier subject to such terms and conditions as it may fix.
- (3) Notwithstanding anything in sub-regulation (1) and sub-regulation (2), the entity may, on a *suo motu* basis, apply to the Board seeking declaration of a petroleum and petroleum products pipeline as a common or contract carrier and the Board after giving an opportunity of hearing to the entity, shall, within a period of fifteen days from the receipt of such an application, declare the relevant petroleum and petroleum products pipeline as a common or contract carrier on such terms and conditions as it deems fit.

11. **Miscellaneous.**

- (a) The Board shall endeavour to complete the process of declaring or authorizing a petroleum and petroleum products pipeline as common or contract carrier along-with the process for authorizing a petroleum and petroleum products pipeline or accepting Central Government authorization for petroleum and petroleum products pipeline under the relevant regulations for authorizing entities to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipelines.
- (b) Entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline and entity booking capacity in petroleum and petroleum products pipeline shall abide by the provisions specified under relevant regulations on access conditions for petroleum and petroleum products pipeline and other relevant regulations.
- (c) The Board may issue guidelines from time to time relating to the implementation of various provisions of these regulations.

(d) If any dispute arises with regards to the implementation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.

RATAN P. WATAL, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./188/2012-13]

Annexure-1

Format for maintaining records of applications for booking and allocation of capacity in petroleum and petroleum products pipeline by entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline.

(See regulation 7 (b))

1	Docket number allotted to application for booking of capacity in petroleum and petroleum products pipeline
2	Date and time of receipt of application
3	Mode of receipt of application and date of confirmation issued by the entity
4	Total capacity in petroleum and petroleum products pipeline at each of the tap-off/ delivery point (in MMTPA)
5	Own capacity requirements of the entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline (in MMTPA) as declared by the entity before the commencement of the financial year and communicated to the Board
6	Common carrier or contract carrier capacity available in petroleum and petroleum products pipeline (in MMTPA) at all tap-off/ delivery point (s) before the date of receipt of the application for booking of capacity
7	Pipeline capacity allocated to the applicant entity (in MMT) over the time period at each of the tap-off/ delivery point in the petroleum and petroleum products pipeline along with the details of the point of injection of petroleum and petroleum products. In case the capacity allotted is lower than the capacity requested, specific reasons for the same to be recorded
8	Date of sending the notice of acceptance of applicant entity's request for booking of capacity (in case of part allocation of capacity, with a disclosure of the specific reasons) and the date of acknowledgement of receipt of the notice
9	Date of entering into a contract for booking of capacity in the petroleum and petroleum products pipeline
10	Capacity available in petroleum and petroleum products pipeline after each capacity contracted
11	Actual quantity delivered against the capacity contracted